327

[2019] 10 एस. सी. आर. 327

/

रूपा रॉय

बनाम

द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. (2019 की सिविल अपील No.5932)

/

29 जुलाई, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस.166 और 173-मुआवजे में वृद्धि-अपीलार्थी और उसका नाबालिग बेटा रिक्शा वैन में यात्रा कर रहे थे, एक मेटाडोर वैन विपरीत दिशा से तेज गति से आई और रिक्शा वैन को टक्कर मार दी-रिक्शा वैन के सभी सवारों को गंभीर चोटें आईं-अपीलार्थी के नाबालिग बेटे को अपने शरीर में 70 प्रतिशत तक स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा-अपीलार्थी ने यू/एस में दावा याचिका दायर की।166 अधिनियम-न्यायाधिकरण ने आंशिक रूप से अपीलार्थी के दावे की अनुज्ञात और रुपये का मुआवजा दिया।-- उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की क्योंकि वह साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा और अपील को खारिज करने का कोई कारण बताने में भी विफल रहा-अपीलार्थी के नाबालिग बेटे को 70 प्रतिशत तक अपने शरीर में स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा और यह बात डॉक्टर द्वारा साबित की गई-पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए, विकलांगता की सीमा, अब तक लिया गया चिकित्सा उपचार, मानसिक दर्द और पीड़ित को हुई पीड़ा, रुपये का पुरस्कार-जिसे बढ़ाकर <ID1,00,000/- कर दिया गया-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -एस. 96.

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की क्योंकि वह साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा और अपील को खारिज करने का कोई कारण भी बताने में विफल रहा।मोटर वाहन अधिनियम**, 1988** की धारा **173** के अंतर्गत दायर एक अपील

सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908** की धारा **96** के समान है।अधिनियम की धारा **173** के अंतर्गत अपीलीय शक्तियों का दायरा**,** अपील की सुनवाई करते समय ऐसी शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और किसी भी आदेश/निर्णय को पारित करते समय न्यायालय ों के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण निर्धारित करना क्यों आवश्यक है**,** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में जांच की गई थी।**[**पैरा **13,14]**

/

/

[331-बी-सी**]** ए

327

328 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम.

ममता और अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 172; जी. सरस्वती और

ओआरएस**.** वी**.**रथिनम्मल और ओआरएस। **(2018) 3** एससीसी **340:[2018] 2** एस**.** सी**.** आर**. 548;** केंद्रीय न्यासी मंडल बनाम इंदौर

कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड (2018) 8 एस. सी. सी. 443:[2018] 7 एस. सी. आर. 1130-संदर्भित।

/

2. उच्च न्यायालय को उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर ध्यान देना चाहिए था और तदनुसार अपील पर निर्णय लेना चाहिए था।चूँकि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा और इसलिए इस न्यायालय से अपीलार्थी द्वारा इस प्रश्न पर पेश किए गए साक्ष्य के आलोक में मामले की जांच करने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी के पीड़ित-नाबालिग बेटे को लगी चोटों की प्रकृति और उसे हुई चोटों के कारण उसे कितनी स्थायी अक्षमता हुई।**[**पैरा **15] [331**-डी**]3.** साक्ष्य के अवलोकन पर**,** इस न्यायालय ने पाया कि पीड़ित**,** यानी अपीलार्थी के नाबालिग बेटे को अपने शरीर में **70** प्रतिशत तक स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है।डॉक्टर ने यह साबित कर दिया है।दुर्घटना के समय नाबालिग की उम्र लगभग **10** वर्ष थी।इस मुद्दे पर उत्तरदाताओं द्वारा खंडन में कोई सबूत नहीं दिया गया है।**[**पैरा **17] [331**-एफ-जी**]**

/

/

4. पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए**,** पीड़ित को अपनी कम उम्र में हुई अक्षमता की सीमा**,** बीमारी**,** मानसिक दर्द और चोटों के कारण पीड़ित को हुई पीड़ा को दूर करने के लिए अब तक लिया गया और भविष्य में लिया जाने वाला चिकित्सा उपचार और अंत में**,** न्यायाधिकरण द्वारा किए गए नुकसान के लिए रुपये का पुरस्कार कम प्रतीत होता है और इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।तदनुसार**,** रुपये की एकमुश्त राशि। **10,00,000**-अपीलार्थी को दिया गया-वह पीड़ित की माँ है।**[**अनुच्छेद **18** और **19] [331**-जी-एच**; 332**-ए-बी**]** मामला विधि संदर्भ

/

/

(2016) 4 एस**.** सी**.** सी**. 172** पैरा **14 [2018] 2** एस**.** सी**.** आर**. 548** पैरा **14 [2018] 7** एस**.** सी**.** आर**. 1130** पैरा **14** ए**.**

/

/

329

रूपा रॉय बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 5932

2009 के एफ. एम. ए. सं. 647 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से

रउफ रहीम, सुश्री मनीषा पांडे, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।ए. जैन, शिव भल्ला, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1.अनुमति दी गई।

/

2. यह अपील 2009 के एफ. एम. ए. में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 2 के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और जिला न्यायाधीश, नादिया द्वारा 2005 के एम. ए. सी. मामले संख्या 3 में पारित आदेश दिनांक 3 की पुष्टि की।

/

3. इस अपील के निपटारे के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है।

4. अपीलार्थी दावेदार (आवेदक) है और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष दायर दावा याचिका में प्रतिवादी गैर-याचिकाकर्ता हैं, जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है।

/

5. आई. डी. 1 पर, जब अपीलकर्ता अपने पति और नाबालिग बेटे-सोरंग्शु के साथ एक रिक्शा वैन में गाछा बाजार बस स्टॉप की ओर जा रहा था, तो एक मेटाडोर वैन जिस पर नं. WB 57/5270 विपरीत दिशा से तेज गति से आया और रिक्शा वैन को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप रिक्शा वैन के सभी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।6. अपीलार्थी के नाबालिग बेटे-सोरंग्शु की आयु लगभग 10 वर्ष थी, जो अपीलार्थी की माँ के साथ यात्रा कर रहा था, उसके शरीर पर कई चोटें आईं।उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका लंबे समय तक इलाज चला।उपचार के बाद, यह प्रमाणित किया गया कि वह पोस्ट-ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया और दाहिने हाथ में कमजोरी के कारण ऑर्थोपेडिक रूप से अक्षम थे।दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उनके शरीर में 70 प्रतिशत तक स्थायी अक्षमता का पता चला था।

/

/

/

7. इससे अपीलार्थी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत प्रतिवादी, यानी उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक/चालक और बीमाकर्ता के खिलाफ दावा याचिका दायर की गई, जिसमें चोटों के कारण उसके बेटे को हुई अक्षमताओं के लिए मुआवजे का दावा किया गया था।

8. यह अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि दुर्घटना उल्लंघन करने वाले वाहन-प्रतिवादी संख्या 2 के चालक/मालिक की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी और दुर्घटना की तारीख को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ इसका बीमा किया गया था।यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी के बेटे की स्थायी अक्षमता के कारण, अपीलार्थी उसके लिए उपयुक्त मुआवजे का दावा करने का हकदार है।

/

/

9. प्रतिवादियों ने दावे का विरोध किया।दिनांक 16.02.2008 के निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण ने आंशिक रूप से अपीलार्थी की दावा याचिका को अनुज्ञात कर लिया और 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 2,00,000-अपीलार्थी को।अपीलार्थी ने व्यथित महसूस किया और कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया जो इस न्यायालय में अपीलार्थी (दावेदार) द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर करने को जन्म देती है।

/

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री रउफ रहीम और प्रतिवादी नं. 1 के विद्वान वकील श्री ए. जैन को सुना।

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए ते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार में संशोधन करते हैं और तदनुसार मुआवजे को उस सीमा तक बढ़ाते हैं जो अपीलार्थी के पक्ष में नीचे दर्शाई गई है।

/

12. आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया, जो निम्नानुसार हैः

/

“हम मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार घोषित निर्णय को देख चुके हैं और हमारी राय है कि न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय में कोई विकृति या अवैधता नहीं है। "

/

13. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की क्योंकि वह साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा और अपील को खारिज करने का कोई कारण बताने में भी विफल रहा।ए में

/

किसी भी चर्चा और तर्क के अभाव में, हम यह जानने से चूक गए हैं कि किस बात ने उच्च न्यायालय को अपील को खारिज करने के लिए राजी किया।

14. अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत दायर एक अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 96 के समान है।अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपीलीय शक्तियों का दायरा, अपील की सुनवाई करते समय ऐसी शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और न्यायालयों के लिए कोई भी आदेश/निर्णय पारित करते समय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारण निर्धारित करना क्यों आवश्यक है, इसकी जांच इसके द्वारा की गई थी।

/

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम के मामले में न्यायालय । ममता और अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 172, जी. सरस्वती और अन्य बनामरथिनम्मल और अन्य, (2018) 3 एस. सी. सी. 340 और केंद्रीय न्यासी मंडल बनाम। इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 8 एस. सी. सी.

/

443.

15. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर ध्यान देना चाहिए था और तदनुसार अपील पर निर्णय लेना चाहिए था।चूँकि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा और इसलिए हमें अपीलार्थी द्वारा इस प्रश्न पर पेश किए गए साक्ष्य के आलोक में मामले की जांच करने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी के पीड़ित-नाबालिग बेटे को लगी चोटों की प्रकृति और उसे हुई चोटों के कारण उसे हुई स्थायी विकलांगता की सीमा।

/

/

16. इसलिए, इस अपील में शामिल एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या नीचे दिए गए न्यायालयों ने अपीलार्थी (दावेदार) को उसके नाबालिग बेटे को लगी चोटों के लिए रुपये की राशि देने में न्यायसंगत ठहराया था।जहाँ तक अन्य मुद्दे का संबंध है, जैसे कि बीमा कंपनी की देयता, उसी पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बीमा कंपनी ने इस पर सवाल नहीं उठाया है।

/

17. साक्ष्य के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि पीड़ित, यानी अपीलार्थी के नाबालिग बेटे को अपने शरीर में 70 प्रतिशत तक स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है।डॉक्टर ने यह साबित कर दिया है।दुर्घटना के समय नाबालिग की उम्र लगभग 10 वर्ष थी।इस मुद्दे पर उत्तरदाताओं द्वारा खंडन में कोई सबूत नहीं दिया गया है।

/

18. पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए, पीड़ित को कम उम्र में हुई अक्षमता की सीमा, अब तक लिया गया चिकित्सा उपचार और चोटों के कारण पीड़ित को हुई बीमारी, मानसिक दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए भविष्य में लिया जाना और अंत में, नुकसान

/

332

/

[2019] 10 एस सी आर।

इसके कारण, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया रु. 2,00,000 का अधिनिर्णय निचले स्तर पर प्रतीत होता है और इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

19. तदनुसार हम अपीलार्थी को पीड़ित की माँ होने के नाते रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान करना उचित और उचित समझते हैं।यह उसे अपने बेटे की देखभाल करने और उसके पालन-पोषण के लिए और उस राशि के लिए भी सक्षम बनाएगा जो अपीलार्थी और उसके पति ने अब तक अपने बेटे के इलाज पर खर्च की है और भविष्य में खर्च करने की आवश्यकता है।एकमुश्त राशि प्रदान करते समय, हमने उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखा है, जो प्रासंगिक हैं।

/

20. इस न्यायालय द्वारा दी गई राशि (Rs.10,00,000/-) पर 6 प्रतिशत ब्याज लगेगा जो उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश की तारीख से अपीलार्थी को देय होगा।प्रत्यर्थी संख्या 1, यदि पहले से ही अपीलार्थी को भुगतान किया गया है, तो न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज के साथ-साथ रु. 2,00,000 का समायोजन करने के बाद अपीलार्थी को अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करेगा।राशि का निर्धारण किया जाए और 3 महीने के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार भुगतान किया जाए।

/

/

21. तदनुसार अपील की अनुज्ञात जाती है।आक्षेपित आदेश को अलग कर दिया जाता है।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को देय परामर्श शुल्क Rs.10,000/-।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/